भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2489

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय:- बीमा राशि का भुगतान करने के लिए फसल क्षति का निर्धारण

2489. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को बीमा राशि का भुगतान करने के लिए फसल क्षति का निर्धारण करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के ऐसे कोई दिशानिर्देश हैं कि फसल क्षति का निर्धारण करने के लिए ग्राम पंचायत इकाई होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो फसल के प्रत्येक किस्म और भूखंडों के लिए अलग-अलग किसानों द्वारा प्रीमियम का भुगतान किए जाने के कया कारण हैं और यदि नहीं, तो सरकार की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बहुत अच्छी उपज वाले भूखंडों को फसल काटने के लिए पूर्व निर्धारित किया जाता है; और

(ड.) ऐसे भूखंडों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है और भूखंडों का चयन किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) मुख्य रूप से 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वित की जाती है तथा इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी वाले प्रीमियम पर फसलों की बुवाई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र उपज आंकड़ों तथा नीचे दिए गए दावे की गणना सूत्र के आधार पर स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है तथा बीमा कंपनियों द्वारा दावे का भुगतान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से सीधे बीमित किसान के खाते में किया जाता है:-

$$\frac{\text{(वास्तविक उपज - थ्रेशहोल्ड उपज)}}{\text{थ्रेशहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग जैसे स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान तथा चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि

के कारण फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। इन दावों का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, प्रमुख फसलों के लिए अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम/ग्राम पंचायत है। अन्य फसलों के लिए, बीमा इकाई ग्राम/ग्राम पंचायत से उच्च स्तर तक हो सकती है, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है।

इस योजना के तहत, प्रीमियम में किसान का अंशदान खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए खरीफ मौसम के दौरान 2% और रबी मौसम हेतु 1.5% तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों (खरीफ एवं रबी दोनों मौसम) के लिए 5% तक सीमित रखा गया है। प्रीमियम का अंशदान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जहाँ इसे कुछ शर्तों के साथ 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। कुछ राज्यों ने राज्य के बजट से प्रीमियम में किसानों का अंशदान साझा करने का भी निर्णय लिया है।

(घ) एवं (ङ): पीएमएफबीवाई को मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार द्वारा सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) के तहत यादृच्छिक नमूनाकरण (रैंडम सैंपलिंग) पद्धति के आधार पर चुने गए व्यक्तिगत किसानों के खेतों पर आयोजित किए जा रहे फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) की अपेक्षित संख्या से प्राप्त क्षेत्र-उपज डेटा पर आधारित दावों के निपटान के लिए "क्षेत्र दृष्टिकोण" अपनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, मैनुअल फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के संचालन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, खरीफ 2023 मौसम से पीएमएफबीवाई के तहत प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान कार्य-तंत्र अर्थात्, **येस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान)** शुरू किया गया है। इसके तहत धान, गेहूं और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए अनुमोदित प्रौद्योगिकियों और दृष्टिकोणों का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग सूचकांक, मौसम सूचकांक, फसल फेनोलॉजिकल जानकारी, मिट्टी के प्रकार आदि सहित डेटा इनपुट के साथ उपज का अनुमान लगाया जाता है।

*****